


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

रागिनी वर्मा, व्याख्याता- रसायन विज्ञान, राजकीय एस. बी. के. बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर, जिला- भरतपुर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-08 में उल्लेखित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण कर अपना नाम "रागिनी सिंह" (नया नाम) परिवर्तित किया है।


अतः वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक: एफ 1(3)एफडी(रूलस)/2017 जयपुर दिनांक: 15.02.2018 के परिपेक्ष्य में रागिनी वर्मा, व्याख्याता- रसायन विज्ञान, राजकीय एस. बी. के. बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर, जिला- भरतपुर राजकीय सेवा संबंधित समस्त अभिलेखों में इनका नाम रागिनी सिंह अंकित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

भविष्य में रागिनी वर्मा से संबंधित राजकीय आदेश, कार्यों, सेवा पुस्तिका एवं सेवा अभिलेख में परिवर्तित नाम "रागिनी सिंह" जारी किया जावे।


(सौरभ स्वामी)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/उपनाम-परिवर्तन/2020-21 दिनांक:-02/8/21
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा),
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक,.....।
5. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
6. संबंधित संस्था प्रधान.....।
7. संबंधित कार्मिक.....।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर